राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 59/2012/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पुरी ब्रदर्स,
नयापुरा, कोटा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटोदी
अधिकृत अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 05.07.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(2) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.03.2012 में कायम राशि कर,ब्याज व शास्ति में से कर व ब्याज को यथावत रखा एवं शास्ति को अपास्त किया जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007–08 के चारो त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विलम्ब से पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2010 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर रू0 8,54,589/–, शास्ति रू0 14,690/–व ब्याज, रू0 9,275/– की मांग कायम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने कर व ब्याज को यथावत रखा एवं शास्ति को अपास्त किया जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क गलत है कि उन्हें स्पेसिफिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया है जो कि पत्रावली पर भी उपब्ध है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी—व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक बहस के दौरान तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने पूर्व कोई स्पेसिफिक नोटिस जारी नहीं किया है और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, इसलिये अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित वा.क.अ.वृत बी जोधपुर बनाम मै0 मेडीकेयर जोधपुर निर्णय दिनांक 29.04.2010 का हवाला देते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उद्धरित निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा देरी से विवरण प्रस्तुत करने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित **वा.क.अ.वृत बी जोधपुर बनाम मै0 मेडीकेयर जोधपुर निर्णय दिनांक 29.04.2010** के प्रकाश में शास्ति को अपास्त कर दिया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि शास्ति आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का विशिष्ट सूचना पत्र जिसमें कौन—कौन से रिटर्न कितने कितने विलम्ब से है और कितनी कितनी राशि शास्ति के रूप में आरोपित किया जाना प्रस्तावित है, अंकित किया जाना चाहिये। ऐसा अंकित नहीं करने से केवल कॉलम्स की पूर्ति करने हेतु शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करने के पश्चात ही शास्ति को अपास्त किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2011की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य